संख्या-383956/III(2)/2026-ई-101327/2026

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2026

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0333/ 2019 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राज्य मार्ग-70 सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग का 1.5 लेन में उच्चीकरण किये जाने का कार्य (चैनेज 40.275 से 53.875 तक) (विस्तृत आगणन) Project Id 3276

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन (E-DPR), जिसमें मार्ग की लम्बाई 13.600 किमी. की लागत ₹ 3735.02 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **₹ 3444.29 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ चौवालीस लाख उनतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iii. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/276791/2025 ई पत्रावली संख्या- 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

iv. मार्ग पर प्राविधानित स्कपरों की लोकेशन, प्लान एवं L-Section पर अंकित कर इसे अधीक्षण अभियनता से अनुमोदित करवा लिया जाय।

v. Existing स्कपरों के डिसमेन्टल किये जाने से पूर्व सभी स्कपरों का पुनः निरीक्षण कर लिया जाय तथा इनके डिसमेन्टजल किये जाने की अपरिहार्यता के सम्बन्ध में सन्तुष्टि कर ली जाय, क्योंकि नये स्कपरों के साथ इनके रखे जाने से मार्ग का ड्रेनेज सिस्टम और Effective रह

Scanned with OKEN Scanner

सकता है।

vi. आगणन में प्राविधानित नालियों के L-Section बनाकर इनके Outfall को अंकित करते हुए प्रस्ताव अधीक्षण अभियनता से अनुमोदित करवा लिया जाय।

vii. मार्ग का निर्माण अपेक्षित ज्यामितियों में सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक 10 मी0 के अन्तराल पर लेविल पिलरों का निर्माण किया जाय।

viii. कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मद की धनराशि पर वास्तविक एंव नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु प्र०वि० / कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगें ।

ix. N.S.I. मदों कार्य हेतु शा0सं0-50/xxvii(7)/2012, दि० 12/04/2012, 152 / 887 / मार्ग सि० / रा०यो ०आ० / 2021, दिनांक 4.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/2007 टी०सी० । दि० 21 जुलाई, 2022 तथा 1389 / 687 / मार्ग०सि० / रा०यो०आ० / 2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

x. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि आगणन में प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

xi. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये ।

xii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये ।

xiii. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xiv. प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा०सं० 149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xv. कार्ययोजना पर सलाहकार लो०नि०वि० के स्तर से अंकित आख्या का कार्य सम्पादन से पूर्व प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय ।

xvi. कार्य सम्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित मार्ग की रोड सेफ्टी आख्या / रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया जाय ।

xvii. गत् वर्षों में उक्त मार्ग / लम्बाई पर प्राप्त होने की दशा में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों का संज्ञान ले लिया जाय ।

xviii. रोड upgradation हेतु मैदानी क्षेत्रों की प्रति किमी0 समतुल्य लागत के अनुसार प्रति किमी प्राविधान एवं लागत पर भिन्नता की स्थिति में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी के स्तर से अपेक्षित आख्या एवं विवरण प्राप्त कर लिया जाय ।

xix. विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा रोड सेफ्टी कार्यों में प्रभावी प्रमुख अभियन्ता एवं देहरादून के पत्रांक विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, 380/02- गु०नि० (अधि०) / 2017-20, दिनांक 31.08.2020, 57 / 10 अधि० प्राप्ति / 2014 दिनांक 27.06.2014, 1122 / 195-II सा.प्र. / 2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020. 372 / सर्कुलर 09 सा०प्रा० / 2019 दिनांक 29.05.2019, 392 / 10 अधिप्राप्ति / 20 दिनांक 14.07.2020 एवं 1046 / 197 / 2020 दिनांक 11.11.2020 का संज्ञान भी ले लिया जाय ।

xx. निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत मे होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त

Scanned with OKEN Scanner

कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।

xxi. U-Shape RCC Drain का निर्माण मात्र सघन आबादी क्षेत्र में ही न्यूनतम आवश्यकतानुसार ही कराया जाय, शेष लम्बाई में आवश्यकतानुसार के0सी0ड्रेन का कार्य कराया जाय।

xxii. मार्ग के निर्माण के समय ड्रेन का उचित Gradient देते हुए Proper Outfall सुनिश्चित कर लिया जाय।

xxiii. योजना क्रियान्वयन हेतु Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xxiv. सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xxv. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

xxvi. मार्ग में आवश्यकतानुसार यथासम्भव वृक्षारोपण (Road Arboriculture) का कार्य भी कराया जाय।

xxvii. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xviii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xxix. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

xxx. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xxxi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

xxxii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

xxiii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xxiv. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xxxv. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xxvi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xxvii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय

Scanned with OKEN Scanner

कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या– 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

xxix. कार्यस्थल के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/383783/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by Pankaj Kumar Pandey
Date: 31-03-2026 12:59:29

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, खटीमा ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/383956/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26030220148
आवंटन पत्र दिनांक-31-MAR-2026

लेखा शीर्षक
5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य
04-जिला तथा अन्य सड़के
03-राज्य सेक्टर
Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	8520000	10000	0	8530000
योग	8520000	10000	0	8530000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd *E-mail: p1hodpwduk@gmail.com*

पत्रांक–445/20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–I/2026, दिनांक–04/अप्रैल/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चंपावत वृत्त, लोक निर्माण विभाग, [illegible]।
3. अधिशासी अभियन्ता, [illegible] खण्ड, लोक निर्माण विभाग, [illegible]।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

04/04/26

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner